मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 12111/22/वि–9/आरजीएम/97 भोपाल दिनांक 30 जुलाई, 1997

आदेश क्रमांक–18
तकनीकी परिपत्रा : चार/97–98/जलग्रहण क्षेत्रा विकास

प्रति,

1. अध्यक्ष (समस्त)
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, (समस्त)
मध्यप्रदेश

3. कार्यपालक निदेशक (समस्त)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जनपद पंचायत,

5. परियोजना अधिकारी, (समस्त)
मिली जलग्रहण क्षेत्रा

विषय :–राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के अंतर्गत ग्राम स्वच्छता अभियान हेतु सोक पिट निर्माण के संबंध में दिशा–निर्देश।

जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश क्रमांक–2 दिनांक 25–7–95, आदेश क्रमांक – 4 दिनांक 8–11–95, आदेश क्रमांक–5 दिनांक 1–12–95 एवं आदेश क्रमांक–6 दिनांक 4–3–96, आदेश क्रमांक–7 दिनांक 16–5–96, आदेश क्रमांक–8 दिनांक 3–9–96, आदेश क्रमांक–9 दिनांक 15–11–96, आदेश क्रमांक–10 दिनांक 5–12–96, आदेश क्रमांक–13 दिनांक 3–4–97, आदेश क्रमांक–14 दिनांक 30–4–97, आदेश क्रमांक–15 दिनांक 1.5.97, आदेश क्रमांक–16 दिनांक एवं आदेश क्रमांक–17 दिनांक 12.5.97 को जारी किए गए हैं। इस परिपत्रा में दिये गये निर्देश सुझावात्मक हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार इसमें फेर बदल संभव है। कृपया इस परिपत्रा को कार्यालय में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की गार्ड नस्ती में रखें।

1. पृष्ठभूमि :–

जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार हेतु चयनित माइक्रोवाटरशेड के ग्रामों में विभिन्न वाटरशेड विकास गतिविधियाँ उत्पादन स्तर में वृद्धि कर स्थाई जीविका तथा विकास के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम

को यदि चयनित ग्रामों के रिहायशी क्षेत्राों में फैली अस्वच्छता में स्वावलंबी ग्रामों की अभिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। अतः जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्वच्छता अभियानन हेतु स्वच्छता अभियान हेतु प्रथम चरण में सोक पिट निर्माण का कार्य किया जा सकता है।

2. आवश्यकता :–

ग्रामों के रिहायशी क्षेत्राों में घरेलू निस्तार कार्यों से निकला गंदा पानी ड्रेनेज सिस्टम तथा सुव्यवस्थित निकास के अभाव के कारण घरों के आसपास तथा सड़कों पर फैलता रहता है। इसके फलस्वरूप जहाँ एक ओर सड़कों पर कीचड़ होने के कारण आवागमन में बाधा होती है तथा पैरों में लगकर यह गंदगी घरों के अंदर पहुंचती है वहीं दूसरी ओर लंबे समय तक एकत्रित गंदा पानी कई तरह के घातक जीवाणुओं व कीटाणुओं को जन्म देता है जो गंभीर बीमारियों के लिये उत्तरदायी होते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिये आवश्यक है कि निस्तार कार्यों से निकले गंदे पानी के निकास के लिये ऐसी व्यवस्था की जावे कि यह सड़कों पर तथा घरों के आस पास न फैले, जिसके लिये उचित स्थल पर सोक पिट निर्माण एक बेहतर विकल्प है।

3. उद्देश्य :–

जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्वच्छता अभियान हेतु सोक पिट के निर्माण से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी :–

3.1 रिहायशी क्षेत्राों में सड़कों तथा घरों के आसपास घरेलू निस्तार कार्यों से निकले गंदे पानी के फलस्वरूप होने वाले कीचड़, गंदगी व बीमारियों से मुक्ति।

3.2 सड़कें सूखी होने से आवागमन की सुविधा।

3.3 ग्रामों में स्वच्छ वातावरण व स्वच्छ परिवेश।

4. लागत व वित्त व्यवस्था :–

4.1 जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्वच्छता अभियान हेतु सोक पिट का निर्माण प्रत्येक उस घर के लिये किया जा सकता है, जिसमें विस्तार कार्यों के गंदे पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संरचना के निर्माण पर संभावित व्यय रू. 200/– प्रति संरचना हो सकता है। संभावित व्यय में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन कार्यपालक निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जा सकेगा। एक सोक पिट पर व्यय की अधिकतम सीमा रू. 400/– (चार सौ रूपये) होगी।

4.2 सोक पिट का निर्माण आस्थामूलक कार्यों के मद में उपलब्ध राशि से कराया जावेगा। आस्थामूलक कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ''जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न योजनांतर्गत दिशा निर्देश'' के तहत जारी आदेश क्रमांक–10 में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये जा चुके हैं। कृपया इनका भली भांति अध्ययन कर लेवें।

5. संरचना का निर्माण :–

5.1 आवश्यक सामग्री :

एक सोक पिट के निर्माण हेतु निम्न सामग्री की आवश्यकता होगी :–

1. बोल्डर तथा पैबल ;ठवनसकमत ंदक च्नइइसमद्ध – एक कार्ट लोड

2.	छिद्रयुक्त एल्युमिनियम की वृत्ताकार शीट (15 से.मी. व्यास)	–	एक नग
3.	सीमेंट	–	दो किलो
4.	ईंट	–	8 नग
5.	पॉलीथीन/गनी बैग	–	4 नग
6.	रेत	–	2 तगाड़ी
7.	गोबर ;ब्वू क्नदहद्ध	–	10 तगाड़ी

5ण्2 विधि

सोक पिट के निर्माण हेतु सर्वप्रथम घरेलू निस्तार कार्यों के गंदे पानी के निकास स्थान (घर की मोहरी) के पास तथा घार की दीवार से कम से कम 60 से.मी. दूर एक वर्गमीटर के क्षेत्रा में एक मीटर गहरा गड्ढ़ा खुदवावें। इसके बाद इस गड्ढे में धरातल से 50 से.मी. ऊंचाई तक बड़े बोल्डर भरें। तत्पश्चात इन बोल्डर के ऊपर 10 से.मी. की ऊंचाई छोड़कर पैदल एवं रेत भरें। ताकि पिट के अंदर आने वाला पानी छनकर अंदर जा सके। विभिन्न आकार के बोल्डर पैदल एवं रेत को गड्ढ़े में नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः घटते हुये आकार के अनुक्रम में जमाया जाना चाहिये, जैसा कि संलग्न चित्रा में दर्शाया गया है।

इसके बाद घरेलू निस्तार कार्यों से निकल रहे गंदे पानी के साथ आने वाले ठोस पदार्थों को पिट के अंदर जाने से रोकने के लिये घर की मोहरी के समीप अपशिष्ट अवरोधक बनवायें। इस हेतु घर की मोहरी के समीप उस स्थान पर जहाँ निकास का पानी आकर गिरता है, वहाँ 15 से.मी. व्यास का 10 से.मी. गहरा गड्डा खोदकर इस गड्डे को चित्रा में दर्शाये अनुसार एक पाइप द्वारा सोक पिट के अंदर ब्वददमबज करें। ध्यान रहे कि निकास अवरोधक से सोक पिट के अंदर लाये जा रहे पाइप का ढाल कम से कम 20 का हो। इसके बाद इस गड्डे के ऊपर चित्रा में दर्शाये अनुसार छिद्रयुक्त एल्यूमिनियम की कटोरीनुमा शीट लगा दी जाती है। सोक पिट में वर्षा का पानी न जावे, इस हेतु इस निकास अवरोध के चारों ओर ईंटों, रेत और सीमेंट की सहायता से 15 से.मी. ऊंची दीवार बना दी जाती है। जब पिट में निकास अवरोधक से आने वाले पाइप को संबद्ध कर दिया जावे तब इसके ऊपर 10 से.मी. ऊंचाई तक छोटे बोल्डर व उनके बाद 20 से.मी. ऊंचाई तक छोटे पैबल भर दिये जाते है। छोटे पैबल का आकार सुपाड़ी के बराबर हो सकता है।

जब पिट में बोल्डर भर जावे तथा निकास अवरोधक का कनेक्शन सोक पिट से कर दिया जावे तब पिट को गनी बैग द्वारा इस तरह ढांक दिया जाता है कि इसकी किनार पिट की सीमाओं से 15 से.मी. बाहर निकली रहे। इसके ऊपर गीली मिट्टी 10 से.मी. की मोटाई में एक समान फैला दी जाती है व इसे गोबर के प्लास्टर से ढक दिया जाता है। इस तरह से सोक पिट पूरी तरह सील हो जाता है व केवल निकास अवरोधक ही भू सतह के ऊपर दिखाई देता है।

6. संरचना का रख–रखाव :–

1. निकास अवरोधक की एल्यूमिनियम शीट के ऊपर जमा पदार्थों को समय–समय पर साफ कर कनेक्टर पाइप में 2–3 लीटर पानी बहाना चाहिये ताकि पानी का पथ साफ रह सके।
2. सोक पिट के आस–पास मृदा की ऊपरी सतह का लगातार गीला पाया जाना सोक पिट का चोक होना दर्शाता है। ऐसी स्थिति में सोक पिट को पूरा साफ कर पुनः साफ बोल्डर व पैबल से भरा जाना चाहिये।

3. यदि सोक पिट के आस पास घर की दीवालें नमी के कारण गीली हो रही हैं तो सोक पिट को हटाकर सुरक्षित दूरी पर बनाया जाना चाहिये।
4. सोक पिट बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि आस पास के कुओं एवं नलकूपों में इसके पानी का रिसाव न हो सके। इस हेतु सोक पिट का निर्माण स्थानीय मृदा की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुये समीपस्थ कुओं एवं नलकूपों से न्यूनतम सुरक्षित दूरी (लगभग 20 मीटर) पर किया जाना चाहिये।
5. यदि सोक पिट सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है तब भी प्रत्येक दो माह बाद इसे पूरा साफ कर पुनः साफ बोल्डर व पेबल से भरा जाना चाहिये।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर.परशुराम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग